D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)




File Number 30


Assistive technology and facilities for persons with disabilities (Divyangjan) accessible website, screen-reading software, mechanized equipment, Provision for enquiry and information: Human assistance, reader, scribe, soft copies of reading material, screen reading other as per ssr

D.P. Vipra Law College Bilaspur Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)







NVDA SCREEN READING SOFTWARE




DIVYANGJAN ACCESSIBLE WEBSITE Zoom-In And Zoom-Out Facility




DIVYANGJAN ACCESSIBLE WEBSITE Zoom-In And Zoom-Out Facility

















बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

4525+VQ4, Dp vipra law college, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 495006, भारत Lat 22.101492°


Long 82.15965°

05/03/24 01:47 PM GMT +05:30

HUMAN ASSISTANCE



DISPLAY BOARD AND SIGNPOST





बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

4525+VQ4, Dp vipra law college, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 495006, भारत


GPS Map Camera

Lat 22.101492°

Long 82.15965°

07/02/24 12:27 PM GMT +05:30

DISPLAY BOARD AND SIGNPOST



GOVERNMENT GUIDLINE FOR RESERVATIONS AND AGE LIMIT RELAXATION IN AGE LIMIT FOR DISABLED STUDENTS

26 छत्तीसगढ़ शासन चच्च शिक्षा विभाग ःमंत्रालयः: भवन, नवीं रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर क्रमांक, एफं 17-95/2017/38-2 नेवा रोयपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक 03/ उच्च शिक्षा संचालनालयः 1 20 26 इंदावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर विषय:-छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश गार्गेदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्। आपका ज्ञीपन क्रमांक 1563/214/आउशि/सम्/2021 दिनांक 16,06: 2/ विषयातर्गतः संदर्भितं प्रस्तावः का कृपया अवलोकन करें। राज्य के उच्च शिक्षां विभाग के अवगंत संचालित शंक्षणिक संस्थाओं के लिये श्रीक्षणिक संत्रं 2023–22 हेलु अनुमोदित प्रवेश मार्गदिशिका सिद्धात की एक प्रति सलग्नं प्रेषितं है। मार्गदर्शिकाः में दिये गये, प्रावधानो को के ज्ञाहं सिका को प्रति उपलब्ध कराते हुए कार करें। कर। संलग्न:- उपरोक्तानुसारः| पु क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 निर्मा रायपुर बेटल नगर रायपुर दिनांक प्रतिलिपि:— विशेष सहायक, माननीय मंत्रीणी उच्च शिक्षा संग्रालय नेवा रायपुर अंटल नगर रायपुर। 1: निर्ण राष्ट्रायम, भागभाय मनाणा, उच्च नशक्षा त्रभावय, नम् रायपुर जटल निर्ण राष्ट्रिय, धार्तीसंगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, गत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। गार्ड फाईल। এরের্ড চাহিল T. West Day 1855.

P.T. O.

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,बिलासपुर(छ.ग.)



पुराना हाई कोर्ट भवन, विलासपुर (छ.ग.) ४९५००१. १हैक्स ०७७७५२ <u>५ वेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in</u>

वेयसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

पृष्ठांकन क्रमांक 492 /अका: / 2021

बिलासपुर, दिनांक 16/07/2021

प्रतिलिपि:-

01 / कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02 / प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, अटंल विहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत सत्र 2021-22 विश्वविद्यालय के वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in पर उपलब्ध मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशत किया जाता है। शासन से उपरोक्त/पूर्व पृष्ठानुसार प्राप्त पत्र अनुसार पालन करना सुनिश्चित करें।

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,बिलासप्र

2

छत्तीसगढ़ शासन

उच्य शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शक्षिणक संस्थाओं के लिए सत्र 2021–22

हेत् प्रवेश मार्गदर्शका सिद्धात

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विमाग

छत्तीसमुद्ध के शासकीय/अंशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकीत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धात

संत्र 2021-22

1. प्रयुक्ति :-

2021-22

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागुइहोगे तथा समस्त शाचार्य इनका पालन स्तिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करन होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमस्टर तथा स्नातकीतार कक्षा के प्रथम समस्टर से हैं।
- 2. प्रवेश की तिथि -
- 2.1... प्रवेश हेत् आवेदन पत्र जमा करना

इस वर्ष विश्वविद्यालया स्तरं पर प्रवेश हित्। ऑनलाईनः कामे जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयो के लिए जितने फार्म जिमा होगे उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किय जायेगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य शासना से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्यात के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रतान करेगे।

- (अ) अपरिहार्य कारणा से यदि श्रीमिलाईन अविदन जमा करना हो लो आवेदक हो त महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रावर्थि द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों स्तंहर निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेगे।
- (a) प्रवेश हेतु बीर्ड / विश्वविद्यालये द्वारी अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्थ के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित क्रिसे जाने पर विदा अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये ज सकेंगे।
- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंब तक कुलंपित की अनुमित से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातंक प्रथम वर्ष में प्रवेश के तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस व भीतर) शासन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्ष परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश

12

किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतुं निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक ''क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कृक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक 'खं" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी मी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान '(ब)' पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान '(ब)' पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (खं) की प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

पुतिभूल्यांकत / पुत्रगणनाः में उत्तीण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :विधिः संकायः के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुतर्भूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीण छात्रों को पुनर्भूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम धोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के प्रश्चात गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार घर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश विधा जाउँगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना । उत्तीण छात्र- छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

. प्रवेश संख्या का निर्धारण :--

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कि की विदेश की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्ट्राफ़ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न के हाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेंतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि रनातक प्रथम, द्वितीय तृतीय वर्ष एवं पंचेवर्षीय पाठ्यकम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं ने वार कोंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवरान (न्यूनतम 2 सेवरान एवं अधिकतम 5 सेवरान) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे। उ.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को

प्रवेश देंगे।





प्रवेश सूची :--

प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय हैं, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित. सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संतरन प्रमाण पत्रों की प्रतियों की मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानातरण प्रमाण पत्रों की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानातरण प्रमाण-पत्र पर 'प्रवेश दिया गया" की मीहर लगाकर उसे रदद करना चाहिये।
- विधारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के प्रश्यात स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को तिरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जीये।
 - 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सम्भ कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100 / —अशासकीय मृद में अतिरिक्ष रूप से वसूता जायमा तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात प्रवेश की अनुमित नहीं दी जायगी।
 - 45 रथानातरण प्रमाण प्रति की दिताय पति (बुध्वीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जारे रथानातरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने हैं। एफ आई आर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानातरण प्रमाण पत्र को अनुक्रमाक एवं दिनाक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दियार जी संकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वृज्ञन पत्र लिया जाये।
 - महाविद्यालयं के प्राचीयं स्थानातरण प्रमाण-पत्र जारी करते के साथ-साथ छात्र से संगंधिक गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि न संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय स्पिटिं की सील बंद लिफाफें में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेवित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा में प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
 - 4.7 'राज्य शासन, द्वारी, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त, निर्देशों का पालन किया जाए।
 - 5. प्रवेश की प्रतिता :-
 - 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-
 - (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी राज्य या के सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट तिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचातित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के

10.

- (खं) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से मा सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रत होगी।
 - (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चा ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा , उल्लीर्ण आवेदको को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रत होती। किन्तु वाणिज्य और कला सकाय के आवेदको को विज्ञान सकाय में प्रवेश ना दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उल्लीर्ण छा को प्रवेश की पात्रता होती। व्यवसायिक पाठ्यकम से 12 वीं उल्लीर्ण विद्यार्थियों व केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होती। परतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य सका के विष्यों से अध्ययन किया हो तो उसे, वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होती। इसी प्रकार के विष्यों से अध्ययन किया हो तो उसे, वाणिज्य संकाय में प्रवेश की विज्ञान संकाय अध्य हो एस.सी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अध्य
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम हितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्ही विषयों क कमशः द्वितीय एत्तीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर । विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5:8 स्नातकोत्तरः स्तरः नियमितः प्रवेशः 🕂

- (क) बी कॉम / बी एस सी (गृह विज्ञान) / बी ए--स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को कम एम कॉम / एम एस सी (गृह विज्ञान) / एम ए--प्रथम सेमेस्टर एवं अहेकारी विषय तक बी एस सी उत्तीर्ण आवेदको को एम एस-सी / एम ए--प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्र की पात्रता होगी। एम ए प्रथम सेमेस्टर / पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यर्थियों को प्रवेश पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तेर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरो के अतिरिक्त अहंता के संबंध में संकाय की स्थित में संबंधित विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश में उल्लेखिंत प्रावधान / अहंता ही बंधनकारी होंगे।
- (खं) रनातकोत्तर *प्रथम वर्ष जत्तीण* आवेदको को उसी विषय के रनातकोत्तर द्वितीय वर्ष नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तर आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर केक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-१. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

- 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
- 5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :--
 - (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको का कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, प्रचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।
- 5.5 प्रवेश हेतु अईकारी परीक्षा में न्यूनतम् अंक सीमाः
 - (क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतुं न्यूनतम अंक सीमा बैठ्क (अनुसूचित जनजाति / अनसूचित जाति हेतुं 40%, अन्य पिछंडा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वोद्ध में 55% अंक (अनसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / ओ बी सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- 5.6 AICTE/NCTE/BAR GOUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।
- समकक्षं परीक्षा :--
- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंग्डरी एंजुकैशन (सी.बी.एस.ई.). इंडियन कौंसिल फार सेकेंग्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकत है।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयां जो भारतीय विश्वविद्यालयं संघ (एसीसिएशेन अन्यतिद्यालयं से स्थित विश्वविद्यालयं जो भारतीयं विश्वविद्यालयं से एसीसिएशेन अन्यति प्राप्त प्रीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयं की एरीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालयं (IGNOÜ को छोड़कर) जो दूरवर्ती प्राठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालयं अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी कि विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र—छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा एक संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहोन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध

8

वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक रतर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे

वश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमाक 1-527/2013- (सीर्धाः) एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार —

"जैसा कि आपको जात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अहीता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईवयुएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह ा से 10 स्तर तक के प्रमाण-पन्न उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रभ पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर भे से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डी द्वारा छ इं को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को संमतुल्य/ समस्तरीय प्रमाण-पुत्र प्रदान किये जी रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10-12 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालयः भारते सरकार ने आशका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रनातक पूर्व किसी भी पाउपक्रम से दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसीयिक विषय थे वे अलामकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसं अनुरोध है कि िर समय छात्रो द्वारा विश्वविद्यालयः एवं महाविद्यालयः में अन्य किसी भी रनातकः पूर्व पाद्यक्रमां = दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समत्रल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये ताकि उन छात्रों को क्षेतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सके।"

- बाह्य आवेदको का प्रवेश :-
- 7.1 रनातक रतर तक बी.ए /बी.कॉर्म /बी.एसं-सी./बी.एच.एसं-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लाए होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम /द्वितीय ां की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कुमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है कि है सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण—पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर के प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व के परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वा की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-ग



प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किस मी प्रकार की झूठी/रगलत-जानकारी-पाए-जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से विचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत वस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराय जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को रथान रिक्त होने पर तथः महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर लंक निर्धारित शुक्क लेकर मात्र प्रायोगिक करा करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
- अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने ताले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा —
- 8.1. <u>स्नातक स्तर</u> की प्रथम हितीय वर्ष की पूरीका में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदको को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 82 स्नातकोत्तरः सेमस्टर प्रथम / द्वितीय / तृतीयः से प्रकृ / एटी-कटी प्रपत् आवेदको को उपार्व कक्षा में अस्थायी प्रवेश की मात्रता होगी.
- 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यकम एलएलबी के प्रथम एवं दितीय वर्ष में तिर्घारित रूप्गीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदको को अंगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होंगी।
- .8.4 जपरोक्त कड़िका 7 के खण्ड ते एवं **2** के आवेदको को अस्थायी प्रवेश की पान्नता नहीं होगा।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं का अंत्रधायी प्रवेश स्वत निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश तियमित प्रवेश के रूप में मान्य किंग जावेगा।
- 9 प्रवेश हेत् अहेताएँ 🗢
- 9.1 किसी भी महाविद्यालयं/विश्वविद्यालयं शिक्षणं विभागं के किसी सकाय में प्रवेश प्राप्त कि छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी किया में आगामी वर्ष वर्ष में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता तहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहीं नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानातरण प्रमाण-पत्र तथा शपथे-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हीं, परीक्षों में या पूर्व संत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साल दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचीर्य अधिकृत है।

महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले /रैगिंग न असेपी छात्र / छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने / प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्क्रिया जाये। ऐसे छात्र—छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय / अशासकाय क्रिया जाये। ऐसे छात्र—छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय / अशासकाय क्रिया जाये।

🛂 देश हेतु आयु—सीमा :--

- (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं रनातकात्तर डिप्लोमा में प्रवेश निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष मान्य की जाएगी। बी.पी.एड.एवं एम.पी.एड. के लिए निर्धारित आयु सीमा 25 एवं 28 वर्ष होगी।
- (ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालंक तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।
- (घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुस्र्चित जाति/अनुस्र्चित जनजाति/पिछडा वर्ग/गर्क आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। नि:शक्त अभ्यर्थी/आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि ने लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवि उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता क अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 96 किसी संकाय में रनातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के रनातक पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 10. प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण :--
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा।
 - (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय हैं. तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अकों के आधार पर तथा
 - (ख) विधि रनातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

स्तातक / रनातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकती का आधार, अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी।

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहेंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सन्न के नियमित / स्वार्ण के विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अंगली कक्षाओं से पूरक छोत्रों के पहले उत्तीर्ण परंतु 48 एग्रीशेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसा में महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी अणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

किसी एक विषय की स्नातकोत्तर प्रसिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण-छत्तीसगढ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा -प्रत्येक शैक्षणिक संत्र में प्रवेश में सीति का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नालिखित रीति से होगा अर्थात

- (क) अध्ययन या सकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुहारत संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ख) अध्ययन या सकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुजन्त संख्या में से बारेंह प्रतिशत सीट अनुसूचित जातियाँ के लिए आरक्षित रहेगी
- (ग) अध्ययन या सकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुजात संख्या में से चौवह प्रतिणती सीट अन्य पिछड़े वर्गों के लिए/आरक्षित रहेगी। परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातिया व साथ-साथ अनुसूचित जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटो पर भी विपरीत कम में पात्र आवंदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटे पात्र विद्यार्थियों की अनुपलकाता के कारण अतिम तिथियों पर प्रिक्त रह जाती है तो इसे विपरीत कम में विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी प्रतिकः में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी; जहाँ खण्डे (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें अतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से मरा जाएगा।

- 12:2 (१) विन्दु क 12:1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीत उपलब्ध सीटो का आरक्षण उर्ध्वाधर (वटींकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
 - (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको भूतपूर्व रागिक स्वतंत्रता संस्थार संनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेतिज आरक्षण क प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि पॉजिय सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियन के

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क. 121 के खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाघर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 रवतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र—पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती / नातिन के लिए 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत कि अरक्षित रहेगें।

सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे। आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी आंवन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे— स्वतंत्रता संग्रान सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मार्म जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

तृतीय लिंग के व्यक्तियों को मानंनीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विभेस अथाँरिटी विरूद्ध मारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि— "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend an kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

अधिभार :-

128

129

12 10

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेत् इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अईकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण—पत्र प्रवेश आवेदन—पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन—पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण—पत्र पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर भारत्स्वांधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क) एन.एस.एस. / एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट

02 प्रतिशत

(ख) एन एस एस / एन सी सी "बी" सर्टिफिकेट

na प्रतिशत

| The state of the s | 100 STATE OF 18 100 STATE OF 1 | The same of the sa | THE COLUMN TWO IS NOT | 3 |
|--|--|--|--|--|
| 新されて (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्क "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय स | ाउट्स नोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत 04 प्रतिशत | With the state of the particular of |
| (和) (国) | "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय स राज्य स्तरीय संचालनालयीन में गुप का प्रतिनिधितत्व करें | एनं सी सी: प्रतिया। गता वाले छात्री की | | |
| | | व परेड में छत्तीसगढ़ | 05 प्रतिशत | |
| (u) | नई दिल्ली के गणतत्र 149 के एन सी.सी. / एन एस एस वाले विद्यार्थी को | कटिचेत्रा से माग श | 05 प्रतिशत | |
| (ন্ত) | 15 AM TENERRY | | 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत | |
| (ড়া) (ড়া) | <u>कार्यंत्रं का स्वर्भिक्ष</u> | जसीसी केंडेंट बार्ड प्राप्त एनसीसी केंडे | ह <u>10 प्रतिशत</u> स में | |
| | | | ALCOHOLOGY TO A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE | 250 November 1 |
| Ð | THENDEN | Complete Common of the common | Helicolate and the state of the | র বি |
| 3.2 | भानसं विषयं पाठ्यकेन | 4A TV 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | AND THE | न्योजित अ ^{त्र} |
| 13.3 | आनर्स विषय पाठ्यकम् म कक्षा में उसी विषय में प्रवेश खेलफूद /साहित्यिक /सास्कृ (1) लोक शिक्षण संचाला | तिक / तिवज्ञा/ रूपायः तालय अथवा छत्तीसगढ | उंचे शिक्षा विभाग वीर संगठन द्वारा आयोजित अर | ह संगात / क्षेत्र |
| | - Wichie | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | CARRY LAND IN COLLEGE TO SECURE | E Water Strain to the Strain Land |
| | स्तर प्रातया | स्थान प्राप्त था। | त करने वाले की | द्वारा आयोजित |
| | (ख) व्यक्ति। (य) उपर्युक्त कंडिका | 13:3 (1) प स्तर अथवा केन्द्रीय वि | द्यालय संगठन कार्य इवविद्यालय संघ एआई.य | द्वारा आयोजित आयोजित क्षेत्रीय |
| | जानीय प्रतियोगित | ग म जन्म कार्य म | ग्रालय भारत | प्रतिशत |
| | प्रात्याः । प्रतियोगिता में !- | ० - नगान प्राप्त टीम के | प्रत्येक सदस्य पा | प्रतिशत २ पत |
| | (ख) व्यक्तिगत आ | प्रतिनिधित्व करन | जत, संसदीय काय. १७० | भारत सरकार हार |
| Francis and a few and a fe | (ग) संभाग / क्षेत्र का भारतीय विश्ववि (३) भारतीय विश्ववि | ह्यालय संघ द्वारा आया। य प्रतियोगिताओं में | Manager and Andrews | ्रहेशतिषात |
| | आयोजित राष्ट्र | AAM H TINTE | | |

करने वाले को

- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम 12 प्रतिशत के सदस्यों को
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को वाले

0=प्रतिशत-

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कृत्वरल एक्सचेज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यक / ंकला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को

छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल सघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

- (क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के 10 प्रतिशत संदर्भ को
- (ख) प्रथमः द्वितीयः तृतीयः स्थानः प्राप्तः करने वालीः छत्तीसगढः की । 12! प्रतिशतः टीम के सदस्याः का
- ia.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को

०। प्रतिशतन

13.7 विशेष प्रोत्साहन 뜯

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हिता में एन सी सी शिखलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन सी सी के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडंट्स तथा ओलिम्पयांड / एशियांड / रपोट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रत्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता अ भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आयोगी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में रादि प्रवेश दिया जाए जिन्नकी उन्हें पात्रता है कि

- (1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों की संचालक खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शोसन द्वारा अभिप्रमाणित किया गयो हो, एवं
- (2) यह 'सुविधा क्रेयल उन्ही अभ्यार्थियों को सिलगी जिन्होंने निर्धारित समग्रावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत इस प्रकार की सुविधा नूरार यार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलक्षित्र न प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 3.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल रतर के पिछले चाँर कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक दितीय तृतीय वर्ष स्तातकोत्तर दितीय वर्ष से प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु पान्य होगे।
- 4 सँकाय विषय / ग्रुप परिवर्तन :-स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहन वाले विद्यार्थियों का उनके प्राप्ताकों से 5 प्रतिशंत घटांकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्ताकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तगान सन्न के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन

ने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। हि अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

शोघ छात्रः=

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जाया पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशसा पर प्राचार्य इस समयाविध को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुंलक जमा करने के बाद ही निर्यमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच—डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थित प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह कार्य प्रगति रिपीर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का गे। आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालयं में पदस्थं प्राध्यापक सुप्रविद्याहर्जर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रविध उसे महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लीग होगा।

16 विशेष -

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी जानबुझकर छिपाय गय प्रतिकृत तथ्यों प्रशासकीय अथव कार्यालयीत असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है उत्तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह द अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचाद को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सन्न के दौरान कडिका 9.2 एवं 93 में विभित्त अंतुशासनहींनता के प्रकरणों के लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्रांचार्य का होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुंल्क वापिस नहीं किया जायेगी।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन के आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंध किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्चे शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय—समय पर परिवर्तन/संशोधन शिक्षा

GUIDELINES FOR CONDUCTING WRITTEN EXAMINATIONS FOR BENCHMARK DISABILITIES

0

C



प्रो. रजनीश जैन सचिव

Prof. Rajnish Jain Secretary



विश्वावद्यालय अन्टान आयोग

University Grants Commission

(Ministry of Homen System of Development, Govt, of India)

बहादुर आ। अपन मार्ग नई दिल्ली-110002 Bohadur Shori Jata Marg, New Delhi-110007

> Ph U11-/3236288/23239337 Fax 011-23238858 E-mail secy.ugc@nic.in

F.No.6-2/2013(SCT)

January, 2019

The Registrar,
All Universities/Deemed to be Universities

1 & MM 2019

Sub: - Guidelines for conducting written examination for Persons with Benchmark Disabilities.

Sir/Madam,

The undersigned is directed to forward herewith a copy of the O.M. No.3402/2015-DD-III dated 29.8.2018 of Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, New Delhi received through Ministry of HRD, New Delhi regarding "Guidelines for conducting written examination for Persons with Benchmark Disabilities". The Central Government (D/oEPwD) has laid down the Guidelines for conducting written examination for persons with Benchmark Disabilities, 2018 in supersession of the earlier Guidelines issued vide OM No.F.16-110/2003-DD.III dated 26.02.2013.

You are requested to take immediate action as per the above guidelines. These guidelines may also be circulated to the constituent and affiliated colleges for strict compliance.

Yours sincerely,

(.Rajnish Jain)

Encl: As above.

F. No. 34-02/2015-DD-III

Government of India

Ministry of Social Justice & Empowerment

Department of Empowerment of of Persons with Disabilities (Divyangjan)

Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, C.G.O. Complex, New Delhi -110003 Dated: the 29 August, 2018

Subject: Guidelines for conducting written examination for Persons with Benchmark Disabilities

The undersigned is directed to say that this Department had issued the guidelines for conducting written examination for persons with disabilities defined in terms of erstwhile Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection for Rights and Full Participation) Act, 1995 vide OM No. 16-110/2003-DD.III dated 26/02/2013. The Department had constituted a Committee under the Chairmanship of Secretary, DEPwD in March, 2015 to review the said guidelines based on the issues raised by Union Public Service Commission and others. Meanwhile the Central Government enacted the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act, 2016) which came into force from 19.04.2017. The Act provides for reservation in Government jobs for persons with henchmark disabilities as defined under section 2 (r) of the said Act.

Based on the findings of the Committee, the Central Government hereby lays down the revised guidelines for conducting written examination for persons with benchmark disabilities in supersession of the earlier guidelines issued vide OM No. 16-110/2003-DD:III dated 26/02/2013 as under:

I. These guidelines may be called as "Guidelines for conducting written examination for persons with benchmark disabilities 2018"."

II. There should be a uniform and comprehensive policy across the country for persons with benchmark disabilities for written examination taking into account improvement in technology and new avenues opened to the persons with benchmark disabilities providing a level playing field. Policy should also have flexibility to accommodate the specific needs on case-to-case basis.

> III. There is no need for fixing separate criteria for regular and competitive examinations. re Coord

Page 1 of 6

211

IV The facility of Scribe/Reader/Lab Assistant should be allowed to any person with benchmark disability as defined under section 2(r) of the RPwD Act, 2016 and has limitation in writing including that of speed if so desired by him/her.

In case of persons with benchmark disabilities in the category of blindness, locomotor disability (both arm affected-BA) and cerebral palsy, the facility of scribe/reader/lab assistant shall be given, if so desired by the person.

In case of other category of persons with benchmark disabilities, the provision of scribe/reader/lab assistant can be allowed on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on his behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government health care institution as per proforma at APPENDIX-I.

V. The candidate should have the discretion of opting for his own scribe/reader/lab assistant or request the Examination Body for the same. The examining body may also identify the scribe/reader/lab assistant to make panels at the District/Division/ State level as per the requirements of the examination. In such instances the candidates should be allowed to meet the scribe two days before the examination so that the candidates get a chance to check and verify whether the scribe is suitable or not.

VI. In case the examining body provides the scribe/reader/lab assistant, it shall be ensured that qualification of the scribe should not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe/reader should always be matriculate or above.

In case the candidate is allowed to bring his own scribe, the qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate taking examination. The persons with benchmark disabilities opting for own scribe/reader should submit details of the own scribe as per proforms at APPENDIX-II

VII. There should also be affexibility in accommodating any change in scribe/reader/lab assistant in case of emergency. The candidates should also be allowed to take more than one scribe/reader for writing different papers especially for languages. However, there can be only one scribe per subject.

VIII. Persons with benchmark disabilities should be given, as far as possible, the option of choosing the mode for taking the examinations i.e. in Braille or in the computer or in large print or even by recording the answers as the examining bodies

can easily make use of technology to convert question paper in large prints, e-text, or Braille and can also convert Braille text in English or regional languages

- IX. In case, the persons with benchmark disabilities are allowed to take examination on computer system, they should be allowed to check the computer system one day in advance so that the problems, if any in the software/system could be rectified. Use of own computer/laptop should not be allowed for taking examination. However, enabling accessories for the computer based examinations such as keyboard, customized mouse etc should be allowed.
- X. The procedure of availing the facility of scribe should be simplified and the necessary details should be recorded at the time of filling up of the forms. Thereafter, the examining body should ensure availability of question papers in the format opted by the candidate as well as suitable seating arrangement for giving examination.
- XI. The disability certificate issued by the competent medical authority at any place should be accepted across the country.
- XII. The word "extra time or additional time" that is being currently used should be changed to "compensatory time" and the same should not be less than 20 minutes per hour of examination for persons who are allowed use of scribe/reader/lab assistant. All the candidates with benchmark disability not availing the facility of scribe may be allowed additional time of minimum of one hour for examination of 3 hours duration. In case the duration of the examination is less than an hour, then the duration of additional time should be allowed on pro-rata basis. Additional time should not be less than 5 minutes and should be in the multiple of 5.
- XIII. The candidates should be allowed to use assistive devices like talking calculator (in cases where calculators are allowed for giving exams), tailor frame, Braille slate, abacus, geometry kit, Braille measuring tape and augmentative communication devices like communication chart and electronic devices.
- XIV. Proper seating arrangement (preferably on the ground floor) should be made prior to the commencement of examination to avoid confusion or distraction during the day of the exam. The time of giving the question papers should be marked accurately and timely supply of supplementary papers should be ensured.
- XV. As far as possible, the examining body should also provide reading material in Braille or E-Text or on computers having suitable screen reading software for open book examination. Similarly online examination should be in accessible format i.e websites, question papers and all other study material should be accessible as per the international standards laid down in this regard.

6)-1-

XVI. Alternative objective questions in Lieu of descriptive questions should be provided for Hearing Impaired persons in addition to the existing policy of giving alternative questions in lieu of questions requiring visual inputs, for persons with Visual Impairment.

SUPPLIES OF THE PROPERTY OF TH

XVII. As far as possible the examination for persons with disabilities should be held at the ground floor. The examination centres should be accessible for persons with disabilities.

- 2. It is requested to ensure that the above guidelines are scrupulously followed while conducting examination for persons with benchmark disabilities. All the recruitment agencies, Academics/Examination Bodies etc. under the administrative control of each Ministry/Deapartment may be advised appropriately to ensure compliance of implementing these guidelines. Action taken in this regard may be intimated to this office.
- 3. The above guidelines are issued with the approval of Hon ble Minister (Social Justice & Empowerment).

Yours faithfully,

(D.K. Panada)

Under Secretary to the Government of India Tele. No. 24369059

Bill over their faces

1. Secretary of all Ministries/Department

- 2. Secretary UPSC Shahiahan Road New Delhi
- 3. Chairman, SSC, Block No.12; CGO Complex Lodhi Road, New Delhi-110003.
- 4 Chairman University Grants Commission With a request to issue necessary instructions to all universities including Deemed Universities for compliance.
- 5. Chairman, Railway Board

7:7

- 6. All National Institutes and RCI under administrative control of Department of Empowement of Persons with Disabilities (Divyangian), Ministry of SI&E. New Delhi
- Copy for information to: CCPD Smojnn Bhawan Bhagwar Dass Road New Delhi

Page 4 of 6

5/7

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

7.77

| | i a.* .* . | 2 2 | | * | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | LANGE BURNER | r in the second second | Jarlei saner | |
| - This is | to certify | hat Labave | examined: Mr | /Ms/Mrs | |
| | r a military | The second of th | Second of the Second | . ¹ | |
| | a a line | ne of the candidate | with disability), | a person | |
| The state of the s | A Land of the land | (nature and perce | 100 En 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 | | |
| with the second | | (nature and perce | ntage of disal | omity as | |
| * *** **** **** | , , . | 41-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | | | |
| mennoned if | me ceruncate of | disability), S/o/D/o | | , , , | |
| a resident in | f <u> 15 o</u> | Janies Link | (Village/Distric | ot/State) | |
| a desident o | " | a section has sittings is | LATITURE | i i | |
| and to state | that the /she has | physical limitation | which hamners | his/her | |
| | mar aic/officina | s physical miniation | wincit nampuro | and not | |
| writing cariab | ilities owing to his | /her disability | | | |
| | ., | y nex aminomity. | | | |
| 2 ~ 1° ~ 1° ~ 1° | 1 | | | | |
| 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 | a with the | , Si | gnature | |
| p 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 1 | STATE OF THE STATE | Literatural Ex | WAY NO | |
| - なっての発覚が、原 | The state of the s | | | | |
| Of | ner wedicar officer | /Civil Surgeon/ Med | ical Superintend | ent of a | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | The state of the s | | | N | |
| | | Governmen | thealth care ins | phinion | |
| | a constitution with the | The state of the s | | | - |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | E-, (4.2°) (2.34) (4.3°) | | Name & Desig | mation | |
| 一心一人不可能是想到了 | Ships inc. Alaber | · 12/2016年中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国 | W. B. M. E. M. State | district of | |
| TO THE SECOND STREET STREET | A SECTION AND A SECTION | Transport to the second | | Da Colonia | |
| The state of the s | Name of Govern | ment Hospital/Health | Care Centre wi | th Seal | |
| age to go the contract of the | | 34.97 | | | |
| Pleadi | , | St. of Months. | P 1,11 | | |
| PLACE | . لا ما د الله يواليد . ال د ب | ٠٠ مُنْ اللَّهُ | | #2 7 6 7 | |
| Dates | ri vyst. | | | | |
| Andrew Man | | 4.58663 143567 | | , * ' ' ' ' ' ' ' | |
| · The state of the same of | and the second of the | ALLEGE AND THE COLUMN | | | |
| | Man the section was | THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH | ** | , , , , , | |
| Note | | Tag " 7. 5 ; | | | |
| 。这个意识的。。。 | S. W. N. W. | At a stranger of the stranger | ., | da . | 5 |
| Certificate shou | ild be given by a | specialist of the rele | vant stream/dis | ability | |
| | | THE COURT OF STREET | este side a line | Town of the | |
| (eg. Visual împă | urment - Ophthal | mologist, Lcomotor d | isability - Prtho | paedic | 8 |
| | | | | The second second | |
| _specialist/PMR) | E Z. Band. | | 212 Benediction | | |
| | to the same and the same of th | | '.Ţ: ' ': | - and sa | |
| 。 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 | | | 14 1. w | | |
| 1918年18日本 | | | ALLE DE LE | DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE | |
| The state of the state of the | * ** | and a married of the first of | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | * | |
| 17.435年 特別 · · | Same and the | | | | |
| "一般"如此一样的 | All the second second | | · | اسلمال ا | |
| 1 m 10 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | Page 5 of 650 Colors | | 6 M | |
| THE PART OF THE | ψ | | | | |
| which will in | 1 1 1 1 m | | | | |
| adata". | K. 1 | But with the | | | |
| the first said the said to the | | | | | |

1 175

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

| · | * | * |
|--|-------------------------------|--|
| , · § • | a candidate with | (name |
| of the disability) appearing for | the | (name of the |
| examination) bearing Roll | , No. | at |
| (name | of the centre) in | the District |
| qualification is | (name of | the State). My |
| The same of the same that the same of | | |
| I do hereby state that | (name of the | ie scribe) will |
| taking the aforesaid examination. | r/lab assistant for the un | dersigned for |
| The state of the s | | |
| I do hereby undertake that hi | qualification-is | Ju |
| case, subsequently it is found that h | s qualification is not as de | clared by the |
| undersigned and is beyond my qual | ification, I shall forfeit my | right to the |
| post and claims relating thereto. | | to the second se |
| | | CAR TO PERSON. |
| Signature of the second se | nature of the candidate with | Disability) |
| Place | | |
| Date | | * M |
| | و و الحول و سهوا المساولة و | (EMBergielfone |
| 學學學的 "自己,我們們可以 | ** y * | |

Page 6 of 6

न्म

- C

POLICY DOCUMENT AND INFORMATION BROCHURE FOR DIVYAGJAN STUDENTS



D. P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) https://dpvipralawcollege.ac.in - Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. - 9926165945, 9926138734

Date: - 03/06/2019

Assistance provided for Divyang students

At the heart of our institution's mission lies a fervent commitment to fostering an inclusive culture, a sanctuary where every individual, regardless of ability, finds not just acceptance but celebration. Here, disability is not a barrier but a facet of diversity, enriching the very fabric of our community. We strive tirelessly to ensure that no door remains closed, no opportunity withheld, as we champion the rights and dignity of every member, nurturing an environment where all can thrive, unfettered by the chains of exclusion. Therefore, several initiatives are taken by the college to ensure the implementation of all legislation with respect to divyangian.

1. Accessible Infrastructure:

- Installation of ramps and handrails at all entrances and exits to ensure wheelchair accessibility.
- Designated accessible parking spaces close to the entrance for students with mobility challenges.

2. Specialized Learning Materials:

- Providing textbooks and study materials in alternative formats such as Braille, large print and audio.
- Access to electronic resources and databases compatible with screen readers and other assistive technologies.
- Provision of flow charts for subjects requiring visual representation.

3. Assistive Technologies:

 Equipping libraries with assistive software like screen readers (such as JAWS or NVDA), speech-to-text converters, and magnification software.

4. Personalized Support Services:

- Assigning note-takers or providing lecture recordings for students who require assistance in taking notes.
- · Arranging sign language interpreters for students with hearing impairments.
- Offering exam accommodations such as extended time, alternative formats, and use of assistive devices as per individual requirements.

Office Of Principal

D. P. Vipra Law College Bilaspur

Abproved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) https://dpvipralawcollege.ac.in - Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. - 9926165945, 9926138734

5. Accessible Accommodation:

 Designating accessible rooms in college equipped with features like wider doorways, grab bars, and accessible bathrooms.

6. Flexible Examination Arrangements:

- Implementing flexible exam facilities to accommodate students' accessibility needs and preferences.
- Providing quiet rooms or private spaces for students requiring additional concentration or accommodation during exams.

7. Peer Support Networks:

 Facilitating peer support groups or mentorship programs specifically tailored for Divyang students to foster a sense of community and mutual support.

8. Awareness and Sensitization Programs:

- Organizing workshops, and awareness campaigns to educate faculty, staff, and students about disability rights, inclusion, and appropriate language and behaviour.
- Conducting sensitivity training sessions to promote understanding and empathy towards
 Divyang individuals within the college community.

9. Accessibility Policies and Guidelines:

- Establishing and enforcing policies and guidelines that promote inclusivity and accessibility across all aspects of college life, including admissions, curriculum design, and extracurricular activities.
- Regularly reviewing and updating accessibility policies in consultation with relevant stakeholders to ensure compliance with legal requirements and best practices.

PRIVICIPAL

D.P. VIPRA LAW COLLEGE

Bilaspur (C.G.)